न्यायालय अति.संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी जसवन्त सिह, आर.ए.एस.

अपील संख्या 27/2022 एल.आर. एक्ट (GCMS No 2022/30)

सावित्री पुत्री माईराम पत्नी दरियासिह जाति जाट, निवासी गांव डाबड़ी तहसील भादरा, जिला हनुमानगढ।

अपीलान्ट

बनाम

1. महावीर पुत्र माईराम जाति जाट निवासी गांव डाबड़ी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।
2. कृष्ण कुमार पुत्र | स्व. भागचन्द जाति जाट निवासीगण डाबड़ी
3. हरपालसिह पुत्र | तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।
4. कलावती पुत्री स्व. माईराम जाति जाट निवासी डाबड़ी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।
5. ग्राम पंचायत जरिये सरपंच ग्राम पंचायत डाबड़ी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।

रेस्पोडेंट्स

उपस्थितः
1. श्री हरिराम विश्नोई – अभिभाषक अपीलान्ट
2. श्री बालकिशन शर्मा – अभिभाषक रेस्पोडेन्ट सं. 2
3. श्री विजय कुमार पारीक – अभिभाषक रेस्पोडेन्ट सं. 2, 3, 4

निर्णय **दिनांकः 11.03.2025**

1. यह अपील भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी भादरा, जिला हनुमानगढ के प्रकरण सं. 19/14 आदेश दिनांक 07.10.2015 के विरूद्ध पेश हुई है।
2. अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलान्ट ने उपखण्ड अधिकारी भादरा, के प्रकरण सं. 19/14 अनवान सावित्री बनाम महावीर वगैरह निर्णय दिनांक 07.10.2015 के विरूद्व अपील प्रस्तुत कर अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 07.10.2015 व ग्राम पंचायत डाबड़ी द्वारा पारित नामान्तरकरण संख्या 1568 दिनांक 20.05.2012 निरस्त फरमाया जाकर अपील पुनः सुनवाई हेतु तहसीलदार भादरा को रिमाण्ड करने का अनुतोष चाहा गया है।
3. अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर, रेस्पोडेन्ट्स एवं अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड तलब किया गया । रेस्पोडेन्ट संख्या 1 एवं 5 के

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
बीकानेर

निमित नोटिस जारी किये जाने के बावजूद उपस्थित नही हुवे। इनके विरूद्व एक तरफा (Ex party) कार्यवाही अमल में लाई गई।

4. उभय पक्ष की बहस सुनी गई। अपीलांट के विद्वान अभिभाषक ने अपील मीमो मे अंकित बिन्दुओं को दौहराते हुए बहस के दौरान कहा कि ग्राम डाबड़ी तहसील भादरा की जमाबंदी सम्वत् 2067 से 2070 की खाता संख्या 255/255 के खसरा नम्बर 59/689 तादादी 1.363 हैक्टयर बरानी प्रथम व खाता संख्या 256/256 के खसरा नम्बर 59 तादादी 8.245 हैक्टयर खसरा नम्बर 562 तादादी 3.692 खसरा नं. 563/तादादी 2.415 हैक्टर कुल किता 3 क्षेत्रफल 14.352 हैक्टर अपीलान्ट की पैतृक खातेदारी कृषि भूमि है जिसका विरासतन नामान्तकरण संख्या 1483 दिनांक 05.08.2010 को अपीलान्ट के नाम से दर्ज हो चका था। जिसका अपीलान्ट विरासतन दर्ज हिस्सा के अनुसार खातेदार काश्तकार है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 3 नो आपस में साज–बाज करके अपीलान्ट को यह कहकर कि आप के नाम की शामिल खाते की कृषि भूमि की के. सी. सी बनवा रहे है। इस पर आपको उपतहसील कार्यालय छानी बड़ी मे चलकर लिखापढी करवानी होगी फिर आपको आपके हिस्से के खातेदार कृषि भूमि के लोन की राशि आप को दे दी जायेगी। इस पर दिनांक 08.03.2011 को एक रिलीज डीड अपने नाम से रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 3 द्वारा निष्पादित करवा लिया गया जो कि दस्तावेज एक एबइनिशियो वॉयड दस्तावेज है। रिलीज डीड दिनांक 08.03.2011 के आधार पर अपीलान्ट को किसी प्रकार का नोटिस, सूचना व सुनवाई का अवसर दिये बगैर एक तरफा तौर पर नामान्तरकरण संख्या 1568 दिनांक 21.05.2012 को अपने नाम से स्वीकृत करवा लिया गया है । अपीलान्ट द्वारा निष्पादित रिलीज डीड दिनांक 08.03.2011 व उसके आधार पर स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 1568 दिनांक 08.03.2010 व उसके आधार पर किसी भी प्रकार से कानूनन अपीलांट के खातेदारी अधिकार खत्म व समाप्त नही हुए है व ना ही रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 3 की अपीलान्ट के मुतनाजा भूमि बाबत अपने हिस्से तक खातेदारी अधिकार प्राप्त हुए है। अधीनस्थ न्यायालय ने मात्र कहकर प्रथम अपील निरस्त कर दी कि उक्त रिलीज को शून्य घोषित करने का अधिकार मात्र सिविल

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
बीकानेर

न्यायालय को है । ग्राम पंचायत को यह सुनिश्चित करना था कि उक्त दस्तबरदारी दस्तावेज पेश किया है वो अपीलान्ट द्वारा तस्दीक करवाया है या बहला फुसलाकर करवाया है। इस प्रकार बिना मौका जांच किये बगैर जो दस्तबरदारी के आधार पर म्यूटेशन दर्ज किया गया है वो इन्तकाल व अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय हर प्रकार से निरस्त योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 07.10.2015 व ग्राम पंचायत डाबड़ी द्वारा पारित नामान्तरकरण संख्या 1568 दिनांक 20.05.2012 निरस्त फरमाया जाकर पुनः सुनवाई हेतु तहसील भादरा को रिमाण्ड फरमाई जावे।

5. रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के विद्वान अभिभाषक ने बहस के दौरान कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रजिस्ट्र्ड रिलीजडीड के आधार पर नामान्तरकरण दर्ज किया गया है। रेस्पोडेन्ट संख्या 4 कलावती ने आज तक नही कहा कि रिलीजडीड नही हुई है। प्रकरण 10 वर्ष से चल रहा है तथा अपीलान्ट ने आज तक रजिस्ट्र्ड रिलीजडीड को निरस्त करवाने की कार्यवाही संक्षम न्यायालय में नही की है। अपीलान्ट ने अपना हक त्याग कर दिया है। अपीलान्ट को अपील पेश करने का कोई अधिकार नही है। अतः अपीलान्ट की अपील खारिज की जावे।

6. रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ता 4 के विद्वान अभिभाषक ने बहस के दौरान कथन किया कि रिलीजडीड दिनांक 08.03.2011 एक रजिस्टर्ड वैध दस्तावेज है। सह खातेदार बहिनो ने अपना हक भाईयो के पक्ष में छोड़ दिया था। रिलीजडीड एक वैध दस्तावेज है। रिलीजडीड को अपीलान्ट ने कही पर भी चुनौती नही दी है। उक्त भूमि पर कब्जा हमारा है। उन्होने बहस को जारी रखते हुए कथन किया कि अपीलान्ट ने अपील मियाद बाहर पेश की तथा मियाद अधिनियम का धारा 5 का प्रार्थना पत्र अपील के साथ प्रस्तुत नही किया गया है, अपीलान्ट की अपील मियाद पर भी खारिज योग्य है। अतः अपीलान्ट की अपील खारिज की जावे। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ता 4 के विद्वान अभिभाषक ने अपने पक्ष के समर्थन में RRD 2001

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
बीकानेर

पृष्ठ 143, RRD 2015 पृष्ठ 119 (H C), Rajasthan Revenue Courts Manual का न्यायिक दृष्टांत पेश किया।

7. हमने विद्वान अभिभाषकगणो की बहस पर मनन करते हुवे उपलब्ध दस्तावेजात, एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन/ विश्लेषण किया। प्रस्तुत प्रकरण में अपीलान्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भादरा के प्रकरण संख्या 19/14, के निर्णय दिनांक 07.10.2015 व ग्राम पंचायत डाबड़ी तहसीलदार भादरा के द्वारा स्वीकृत नामान्तरण संख्या 1568 दिनांक 20.05.2012 से व्यथित होकर उक्त अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत करते हुए अपीलाधीन निर्णय दिनांक 07.10.2015 व नामान्तरण संख्या 1568 दिनांक 20.05.2012 को निरस्त करने का निवेदन किया गया है। प्रकरण में मुख्य विवाद रिलीज डीड बाबत है जो बहिनो द्वारा भाईयो के पक्ष में किया गया है। चूंकि रिलीज डीड से ही नामान्तरकरण संख्या 1568 स्वीकृत हुआ है। रजिस्टर्ड वैध रिलीज डीड की वैधता व अस्तित्व को निर्णित करने का क्षेत्राधिकार सिविल न्यायालय को प्राप्त है। अपीलान्ट ने रिलीज डीड को निरस्त करवाने हेतु संक्षम न्यायालय में चुनौति नही दी है। उक्त विवेचन विश्लेषण के मध्यनजर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 07.10.2015 में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की गुजाईश प्रतीत नही होती है। लिहाजा अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 07.10.2015 को यथावत रखा जाता है। तदनुसार अपील निर्णित शुमार हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर सुव्यवस्थित रखी जावे। निर्णय आज दिनांक 11.03.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जसवन्त सिंह)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
बीकानेर